उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

सं० 6163-औ०-17/पा०का०लि०/03- दि० [illegible] जनवरी, 04

समस्त महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)
उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
अध्यक्ष, विद्युतसेवा आयोग/जांच समिति प्रथम एवं द्वितीय
उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
प्रबन्ध निदेशक-मध्यांचल, लखनऊ, पूर्वान्चल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ एवं दक्षिणांचल, आगरा ।

विषय: कारपोरेशन के सेवक द्वारा अपने माता-पिता को आश्रित मानकर चिकित्सा उपचार कराने एवं प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु एक पृथक रूप से घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति करते समय ऐसे कारपोरेशन के सेवक जो अपने माता-पिता को आश्रित मानकर चिकित्सा उपचार कराते हैं तथा चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करते हैं उनसे इस आशय का एक पृथक रूप से संलग्न प्रारूप पर घोषणा पत्र जो पूर्ववर्ती परिषद के निर्गत आदेश सं० 885-डब्लू.सी./रा०वि०प०/औ०-19/एम-11(5)एफ/86 दिनांक 27.4.94 में निहित घोषणा पत्र के अतिरिक्त होगा प्राप्त किया जाय, ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृति के आदेश में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके। यह घोषणा पत्र सम्बंधित सेवक के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा स्पष्ट प्रविष्टियों सहित दावे के साथ अग्रसारित करना अनिवार्य होगा।

अतः आश्रित माता - पिता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों में कृपया उपरोक्तानुसार कृपया कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं उक्त प्रतिपादित व्यवस्था से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी

सं० 6163-1-औ०-17/पा०का०लि०/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्री/ऊर्जा, उ०प्र० शासन, के निजी सचिव ।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ
3. समस्त उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०
4. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शक्ति भवन, लखनऊ

आज्ञा से,

(रवि प्रकाश मिश्र)
कार्मिक अधिकारी